

श्योदान बनाम गुलझारी वगै०
मु०नं० 231/2016
दावा अ०घा० 88,188

दिनांक - 12.11.2020 वकील वादीगण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 397 रकबा 3.70 है० वाके ग्राम जाखोद को तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2016/2188 दिनांक 22.10.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नोम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड (अधिलाषा) सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

